



विकसित बिहार के 7 नियम

बिहार स्टूडेंट क्रोडिट कार्ड योजना



Advt. No. – SPMU/01/2025

रसार सूचना

Date : 29 April, 2025

विभाग द्वारा प्रकाशित सूचना Advt.No-spmu/03/2024 दिनांक–18.10.2024 के द्वारा सूचित किया गया था कि बिहार स्टूडेंट क्रोडिट कार्ड योजना अंतर्गत बिहार राज्य अविस्थात निजी संस्थानों के लिए जो मानक निधिरण की गई थी, उसकी काडिका-1 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "MNSSBY पोर्टल के समानांतर संस्थानों के लिए एक अन्य पोर्टल विकसित किए जा रहे हैं। वैसे सभी संस्थान जिनके द्वारा अब तक NAAC के लिए आवेदन नहीं किए गए हैं। वैसे सभी संस्थान उस पोर्टल पर विभाग द्वारा निर्धारित किए गए विहित प्रपत्र में जानकारी उपलब्ध करवायेंगे। यह जानकारी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना उनके लिए अनिवार्य होगा।"

इस प्रकाशित सूचना के आधार पर विभाग द्वारा बिहार राज्य अविस्थात संस्थानों द्वारा सूचना उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित कार्य किया जाना है:-

- i) MNSSBY पोर्टल पर पूर्ण से अंकित संस्थानों के साथ साथ नए संस्थान/महाविद्यालयों को विभाग द्वारा ग्रांस किए गए नूतन पोर्टल के माध्यम से वांछित सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- ii) नूतन संबंद्धता प्राप्त संस्थानों को MNSSBY पोर्टल पर इस योजना से जोड़ने से पूर्व इस पोर्टल के माध्यम से वांछित सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- iii) सभी संस्थान का अपना Website होना अनिवार्य है जिसमें संस्थान के संबंद्धता, Faculty, Placement, Course wise fee(without hidden fees), Syllabus, Examination Curriculum, Student details, Student's feedback इत्यादि की विवरणी होना अनिवार्य है।
- iv) नूतन पोर्टल पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु संस्थानों को AISHE Code के माध्यम से पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।
- v) पूर्व से MNSSBY पोर्टल पर अंकित संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को सत्र-2025-26 से योजना का लाभ तब तक नहीं प्राप्त हो पायेगा जब तक कि पोर्टल के माध्यम से संबंधित संस्थानों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए सूचना की समीक्षाप्राप्त विभागीय अदेश प्राप्त ना हो जाए।
- vi) NAAC के न्यूजर्स ग्रेड-Q अथवा NIRF के वार्षिक ऐकिंग में संस्थान के नाम अथवा NBA द्वारा मात्र पाठ्यक्रमों से संबंधित प्राप्त संस्थानों के लिए अनिवार्य नहीं है परन्तु उक्त संस्थानों के लिए इस विज्ञापन में वर्णित काडिका-3 के बिन्दुओं का अनुपालन अनिवार्य है।

प्रभारी पदाधिकारी,
SPMU, BSCC

अपर साचेव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना